माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,राजस्थान,अजमेर

क्रमांक : मा.शि.बो./सम्बद्धता/2019/232/3817-3846 दिनांक 16.12.19

कार्यालय आदेश

माननीय प्रशासक महोदय के आदेश दिनांक 28.11.2019 की अनुपालना में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर पूर्व में क्रमोन्नत एवं नवक्रमोन्नत विद्यालयों को बोर्ड से सम्बद्धता प्रदान करने की प्रक्रिया में निम्नानुसार परिवर्तन किया जाता है :-

1. बोर्ड द्वारा पृथक-पृथक जारी की जाने वाली अस्थायी व स्थायी सम्बद्धता के स्थान पर केवल एक ही बार **सम्बद्धता-पत्र** जारी किया जाएगा। इस हेतु राजकीय विद्यालयों से रू 28,000 तथा निजी विद्यालयों से रू 30000/- एक मुश्त सम्बद्धता शुल्क लिया जाएगा। पूर्व लम्बित प्रकरणों के संबंध में पूर्व निर्धारित शुल्क के अनुसार ही कार्यवाही की जाये। जिन विद्यालयों ने अस्थायी सम्बद्धता हेतु आवेदन कर रखा है तथा अस्थायी सम्बद्धता पत्र जारी नहीं किया गया है,उन्हे केवल शेष राशि ही जमा करानी होगी तथा जिन विद्यालयों को अस्थायी सम्बद्धता पत्र जारी हो चुका है,उन्हे निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त विलम्ब शुल्क सहित आवेदन करने पर सम्बद्धता पत्र जारी किया जाएगा। पूर्व लम्बित प्रकरणों पर विद्यालय से अंडरटेकिंग भी ली जाए कि "विद्यालय द्वारा राज्य/बोर्ड के मान्यता/सम्बद्धता से संबंधित सभी नियमों का पूर्णतः पालन किया जा रहा है।"
2. विद्यालयों द्वारा अतिरिक्त विषय हेतु सम्बद्धता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने पर शुल्क रू 3000/- प्रति विषय लिया जाएगा। अस्थायी व स्थायी के नियमों को समेकित करते हुए विनियमों में आवश्यक संशोधन किये जाए।
3. आनलाईन पोर्टल SCHOOL AFFILIATION माध्यम से प्रपत्र-क व प्रपत्र-ग के लिए ऑनलाईन आवेदन की व्यवस्था को समाप्त कर अब केवल "सम्बद्धता हेतु आवेदन" APPLY FOR AFFILIATION का प्रावधान करते हुए पोर्टल पर शुल्क व्यवस्था, निर्देशों, प्रक्रिया इत्यादि में यथावश्यक संशोधन कर लिये जाए। ऑनलाईन प्राप्त सम्बद्धता आवेदनों की आवश्यक जाँच के उपरांत OK किये जाने पर संबंधित विद्यालय को विशेषाधिकारी (परीक्षा) की स्वीकृति व हस्ताक्षर से सम्बद्धता पत्र सीधे ऑनलाईन ही भिजवा दिया जाए। इस पोर्टल की देख-रेख व संचालन की सम्पूर्ण कार्यवाही ए.सी.पी. (IT&C CELL) द्वारा सुनिश्चित की जाए।
4. बोर्ड से सम्बद्धता हेतु आवेदन के समय केवल निम्नांकित प्रलेखों की सत्यापित प्रतियां ही मांगी जाए :-
    1. क्रमोन्नति/मान्यता आदेश
    2. राज्य सरकार/शिक्षा विभाग के समक्ष क्रमोन्नति/मान्यता हेतु प्रस्तुत किए गए ब्ल्यू प्रिंट (नक्शा)
    3. विद्यालय/संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र व प्रबंध समिति के सदस्यों की सूची।
    4. राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ड़ाइस कोड (DISE प्रमाण पत्र)
    5. विद्यालय/संस्था से छात्र संख्या के अनुरूप सिंगल सीटेड फर्नीचर की उपलब्धता का प्रमाण पत्र
5. प्रत्येक वर्ष विद्यालयों द्वारा भरे जाने वाले परीक्षार्थ आवेदन पत्रों में विद्यालय प्रधान से प्रोफाईल में यह अंडर टेकिंग ली जाए कि "सम्बद्धता से संबंधित सभी नियमों का पूर्णतः पालन किया जा रहा है।" परीक्षा, IT&C CELL व अन्य संबंधित विभाग यह व्यवस्था वर्ष 2021 की परीक्षाओं से लागू किया जाना सुनिश्चित करें।
6. किसी भी विद्यालय के माध्यमिक स्तर व उच्च माध्यमिक स्तर के क्रमोन्नति आदेशों में शाब्दिक भिन्नता होने पर सभी प्रलेखों में एक रूपता की दृष्टि से राज्य सरकार/शिक्षा विभाग से संशोधित आदेश प्राप्त होने पर ही कार्यवाही की जाए।
7. बोर्ड प्रति वर्ष प्रत्येक जिले में न्यूनतम दस विद्यालयों का चयन कर सम्बद्धता प्राप्त संस्थाओं का औचक निरीक्षण करायेगा तथा निरीक्षण के दौरान सम्बद्धता हेतु निर्धारित मापदण्डों से न्यून अथवा उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संस्थाओं/विद्यालयों को 15 दिवस का नोटिस जारी किया जाएगा तथा संतोषप्रद उत्तर नहीं मिलने पर उसकी सम्बद्धता निलम्बित/निरस्त की जा सकेगी।

उपर्युक्तानुसार सभी प्रावधानों/संशोधनों को सम्बद्धता विनियमों तथा सभी आवश्यक प्रलेखों में सम्मिलित कर लिया जाए। बोर्ड से सम्बद्धता संबंधी यह नयी व्यवस्था आगामी 01.01.2020 से लागू की जाए। तत्समय ही समाचार पत्रों में विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की जाए।

12/12/19
(मेघना चौधरी)
सचिव

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. निदेशक , माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, शिक्षा निदेशालय, बीकानेर
2. निजी सचिव-अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर।
3. निजी सहायक -सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर।
4. निजी सहायक -विशेषाधिकारी , माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर।
5. निदेशक-गोपनीय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर।
6. ए.सी.पी.- IT&C CELL माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर।
7. उपनिदेशक-परीक्षा, लेखा, गोपनीय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर।
8. उपनिदेशक-जनसम्पर्क माध्यमिक शिक्षा बोर्ड , राजस्थान अजमेर।
9. सहायक निदेशक -सम्बद्धता माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर।
10. सभी संबंधित अधिकारी एवं कार्मिक,माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर।

विशेषाधिकारी (परीक्षा)

कृपया पत्र व्यवहार सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर-305001 के नाम सम्बोधित कीजिए।
IBX Tel. : 0145-2632870 से 2632873 तक E-mail : secy-boser-rj@nic.in
Web site- www.rajeduboard.rajasthan.gov.in

My computer/d drive/Arun sir